न्यायालय– अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं 02 बयाना, जिला भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी	–	सुनील कुमार, आर.जे.एस.
मूल दीवानी प्रकरण संख्या	–	03 / 2026
सीआईएस नं	–	5 / 2026

सुरेश पुत्र तोफानी, निवासी ग्राम मूडिया, तहसील बयाना, जिला–भरतपुर।

.....वादी

–::बनाम::–

01. शिवकुमार,
02. भूपेन्द्र सिंह,
पुत्रगण मोहनसिंह, निवासी मूडिया तहसील बयाना जिला भरतपुर नाबालिगान जरिये वली सरपरस्त (प्राकृतिक संरक्षक) पिता मोहनसिंह पुत्र तोफानी, निवासी ग्राम मूड़िया तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राजस्थान)।
03. तोफानी पुत्र घन्टोली, निवासी ग्राम मूड़िया, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान। **(वाद उपशमनित दिनांकित 28.11.2019)**

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत मन्सूख किये जाने दान–पत्र तहरीर व रजिस्टर्ड तारीखी 03.07.2014 व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थितः–

1. श्री जगमोहन सोनी, विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. श्री गयालाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु होने से उसकी हद तक वाद उपशमनित।

–::निर्णय::–

दिनांकः–30.03.2026

01. वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वादपत्र बाबत मन्सूख किये जाने दान–पत्र तहरीर व रजिस्टर्ड तारीखी 03.07.2014 व हुक्म इम्तनाई दवामी न्यायालय सिविल न्यायाधीश बयाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात कालांतर में श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश द्वारा उक्त वाद इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी के ग्रांडफादर (बाबा) स्व0 श्री घन्टोली वल्द सोनपाल के न्यारानूर स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नवीन खसरा नंबर 183 रकबा 0.91 हैक्टेयर, 186 रकबा 0.77 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर वर्णित खाता संख्या 34 तथा आराजी

खसरा नंबरान 200 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 201 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 202 रकबा 0.35 हैक्टेयर व 203 रकबा 0.05 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वर्णित खाता 35 वाके ग्राम मूडिया तहसील बयाना जिला भरतपुर में वादी के बाबा घन्टोली बल्द सोनपाल व वादी के ताऊ भोला पुत्र घन्टोली निस्फ हिस्से के संयुक्त रूप से मालिक व काबिज थे। वादी के ताऊ श्री भोला पुत्र घन्टोली बिला औरत फौत हो चुके हैं तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल–अचल संपत्ति की समुचित देखभाल व अपने समस्त धार्मिक व सांसारिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करने के प्रयोजन से वादी के नाबालिग पुत्र कन्हैयालाल को हिंदू कर्मकांड के मुताबिक दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। वादी के बाबा श्री घन्टोली पुत्र सोनपाल के क्रमिक वंशजों का सजरा वादपत्र की मद संख्या 3 में अंकित किया हुआ है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी, वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित व पैतृक आराजी है, जिसमें उपरोक्त सजरा के मुताबिक वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं तथा उपरोक्त सजरा के मुताबिक इस पैतृक संपत्ति में वर्णित खाता संख्या 34 जमाबंदी संवत 2057 लगायत 2070 में वादी व वादी के भाई मोहनसिंह व बहन कमलेश व पिता प्रतिवादी संख्या 3, 1/4 से 1/4 अर्थात कुल रकबा के क्रमशः 1/16, 1/16 हिस्सा तथा खाता संख्या 35 जमाबंदी संवत् 2057 लगायत 2070 में वादी, वादी का भाई मोहनसिंह व बहन कमलेश व पिता (प्रतिवादी संख्या 3) 1/2 से 1/4 से 1/4 अर्थात कुल रकबा के क्रमशः 1/32, 1/32 हिस्सा के संयुक्त मालिक व काबिज चले आ रहे हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 को खसरा संख्या 183 व 186 वर्णित खाता संख्या 34 जमाबंदी संवत् 2057 लगायत 2070 में वर्णित कुल रकबा के 1/16 हिस्सा की हद तक तथा खसरा नंबरान 200, 201, 202, 203 वर्णित खाता संख्या 35 जमाबंदी संवत् 2057 लगायत 2070 में वर्णित कुल रकबा के 1/32 हिस्सा की हद तक जरिये विरासतन मालिकाना हक प्राप्त है तथा इससे अधिक आराजी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का अंतरण व संव्यवहार कानूनन प्रारम्भतः शून्य (वोइड एबइनिशियो) वातिल व निष्प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी वर्णित चरण संख्या 1 वादपत्र संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त, पैतृक व अविभाजित जायदाद है, जिसका बगैर वादी की सहमति व रजामंदी के उसके हिस्से की हद तक किया जाने वाला किसी भी प्रकार के अंतरण, दान, विक्रय या अन्य संव्यवहार वादी के विरुद्ध प्रारम्भतः शून्य, अवैध व बेअसर है, किंतु प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी के हितों को नजरअंदाज करते हुये वादी की सहमति व इच्छा के विरुद्ध वादी से छिपाते हुये व बिना विभाजन कराये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 03.07.2014 को सब रजिस्ट्रार बयाना के समक्ष एक फिक्टीशियस दानपत्र पंजीबद्ध करा दिया है। उक्त दानपत्र वादी के विरुद्ध प्रारम्भतः शून्य, अवैध व नाकाबिल पाबंदी है। प्रतिवादी संख्या 3 को आराजी खसरा नंबरान 183, 186 वर्णित खाता संख्या 34 जमाबंदी संवत् 2051 लगायत 2070 वाके ग्राम मूडिया तहसील बयाना में निहित कुल रकबा के 1/16 हिस्से तथा आराजी खसरा नंबरान 200, 201, 202, 203 वर्णित खाता संख्या 35 जमाबंदी संवत् 2051 लगायत 2070 वाके ग्राम मूडिया तहसील बयाना में निहित कुल रकबा के 1/32 हिस्से से अधिक हिस्से का दानपत्र करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वादी के हिस्से की आराजी का वादी की बगैर सहमति व

रजामंदी के वादी के हितों के विपरीत दानपत्र निष्पादित कराया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धांत ''कोई भी व्यक्ति अपने स्वत्व से अधिक का अंतरण नहीं कर सकता है'' के बिल्कुल विपरीत है। अतः उक्त दानपत्र तारीखी 03.07.2014 वादी के विरुद्ध प्रारम्भतः शून्य, अवैध व बेअसर होने से काबिल मंसूखी है। उपरोक्त दानपत्र किसी प्रेम स्नेह के वशीभूत होकर नहीं किया गया है, बल्कि वादी को उसके हिस्से की आराजी से वंचित करने के अवैध उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनसिंह के बीच उपजे आपराधिक षडयंत्र के तहत कराया गया संव्यवहार होने से काबिल निरस्तनीय है। दानपत्र तारीखी 03.07.2014 की रूह से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कब्जा आज तक नहीं दिया गया है तथा वादी अपने हिस्से की हद तक आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त करता चला आ रहा है। अतः दानपत्र तारीखी 03.07.2014 एक्ट अपोन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण ने उक्त फिक्टीशियस दानपत्र के संबंध में वादी से छिपाते हुये इसका नामांतरण रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज करा लिया है, किंतु प्रतिवादी संख्या 3 के उक्त अवैध कृत्य की जानकारी वादी को प्रथम बार दिनांक 5 मई 2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने की नाजायज धमकी देने पर हुई। अतः वादी द्वारा बिना विलंब किये उक्त दानपत्र व जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर वादी द्वारा वादी के हिस्से की हद तक निरस्त कराने हेतु कई बार निवेदन किया है, किंतु प्रतिवादीगण झूठे आश्वासन देकर टालमटोल करते चले आ रहे हैं तथा अंत में दिनांक 31.08.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी से स्पष्ट इनकार कर दिया है। अतः मजबूरन वादी द्वारा उक्त वादपत्र अंदर मियाद पेश किया जा रहा है। वादकारण दिनांक 05.05.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर व तत्पश्चात नकल जमाबंदी व नकल दानपत्र लेने पर इसकी जानकारी होने पर तथा अंत में दिनांक 31.08.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दानपत्र को निरस्त नहीं कराने बाबत स्पष्ट इनकारी होने पर वमुकाम ग्राम मूडिया तहसील बयाना में हुआ है। अतः दावा वादी अंदर मियाद पेश है। पक्षकारान अंदर हदूद अदालत हाजा निवास करते हैं तथा विवादित आराजी भी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादपत्र का मूल्यांकन वास्ते अधिकार समाहत अदालत हाजा व अदायगी कोर्ट फीस के प्रयोजन से दान की गई आराजी की कीमत चार लाख रुपये मानी जाकर वादी के हिस्से की हद तक किये गये फिक्टीशियस दानपत्र को निरस्त किये जाने बाबत एक लाख रुपये कायम की जाकर उस पर कोर्ट फीस राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट वेल्यूएशन एक्ट की धारा 38 के तहत 6,625/– व तलबाना 3/– नियमानुसार चस्पा है। अंत में दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया कि दानपत्र तारीखी 03.07.2014 जो प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी का तहरीर कराकर सब रजिस्ट्रार बयाना के समक्ष पंजीबद्ध किया गया, को वादी के हिस्से की हद तक मन्सूख किया जाकर वादी के विरुद्ध प्रारम्भतः शून्य व अवैध व नाकाबिल पाबंदी घोषित किया जावे व इस आशय की सूचना सब रजिस्ट्रार बयाना को भेजी जावे एवं जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण आराजी वर्णित चरण संख्या 1 वादपत्र में वादी के हिस्से की हद तक वादी को कब्जा काश्त करने में कोई अवरोध पैदा न करें तथा विवादित जायदाद को

दीगर व्यक्ति को रहन, वय मुंतकिल नहीं करें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

03. प्रतिवादीगण की ओर से संयुक्त रूप से लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए, वादी के वादपत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा यह अभिवचन किए गए हैं कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में यह गलत लिखा है कि विवादित आराजी वादी के बाबा घन्टोली पुत्र सोनपाल की न्यारानूर छोडी गयी कृषि भूमि है। यह तथ्य स्वीकार है कि भोला पुत्र घन्टोली बिला फौत हो चुकें हैं। यह तथ्य गलत है कि उक्त भोला पुत्र घन्टोली के जीवन काल में देखभाल की हो। वादी ने भोला का कोइ धार्मिक व सांसारिक अनुष्ठान नहीं किया, बल्कि वादी ने भोला को बहला–फुसलाकर उसको धोखे से बीमारी की हालत में बयाना लाकर भोला व वादी से छिपाते हुये अपने नाबालिग पुत्र कन्हैया को अवैध फिक्टीयश गोदनामा तहरीर व पंजीकृत करा लिया है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित सजरा जिस तरह से वर्णित किया है, वह कतई स्वीकार नहीं है। तमाम महिला व पुरुष पक्षकारान को वंशवृक्ष में नहीं दर्शाया गया है, इसलिये आवश्यक पक्षकारान वादपत्र में नहीं बनाये जाने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। यह तथ्य गलत है कि विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि है और वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त हैं, यदि होते तो वादी तोफानी के विरुद्ध पहले ही राजस्व व दीवानी वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर विभाजन करा सकता था। यह तथ्य भी गलत है कि जिस तरह से वादी ने निहित हिस्सों को तहरीर किया है, वह मनगढन्त है। इस तरह से काबिज व दखील नहीं है, ना ही मुश्तरका कब्जा काश्त है, बल्कि मौके पर अलग अलग काश्त हो रही है। डौल मैड बंध रही है। यह कथन गलत है कि वादी को खसरा नम्बरान संख्या 183, 186 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम मूडिया में तोफानी के जीवन काल में 1/16 हिस्सा व अन्य खसरा नम्बरान में 1/32 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी संख्या 3 को वादी द्वारा बतायेनुसार निहित हिस्सा से ज्यादा अन्तरण व संव्यवहार कानूनन प्रारम्भतः (शून्य वोइड एवं एबइनिशीयों) वातिल व निष्प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी का यह कहना गलत है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त पैतृक व अविभाजित जायदाद है। यह कथन भी गलत है कि वादी की सहमति व रजामन्दी के उसके हिस्से की हद तक किया जाने वाला किसी प्रकार से अन्तरण, दान, विक्रय या अन्य संव्यवहार वादी के विरुद्ध प्रारम्भतः शून्य, अवैध व बेअसर है। यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी के हितों को नजरअंदाज करते हुए वादी की सहमति व इच्छा के विरूद्ध वादी से छिपाते हुए बिना विभाजन कराये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 3–7–2014 को सबरजिस्ट्रार बयाना के समक्ष एक फिक्टीसियस दानपत्र पंजीबद्ध करा दिया है। यह कथन गलत है कि आराजी खसरा नम्बरान 183, 186 वाके ग्राम मूडिया तहसील बयाना में निहित कुल रकबा 1/16 हिस्से तक तथा आराजी खसरा नम्बरान 200, 201, 202, 203, वाके ग्राम मूडिया में निहित कुल रकबा के 1/32 हिस्से से अधिक हिस्से का दानपत्र करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वादी के हिस्से की आराजी का वादी की बगैर सहमति व रजामन्दी के वादी के

हिस्सों के विपरीत दानपत्र निष्पादित कराया हो। यह कथन भी गलत है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्त कोई भी व्यक्ति अपने स्वत्त्व से अधिक का अन्तरण नहीं कर सकता है, के विपरीत है। यह कथन बिल्कुल गलत लिखा है कि दानपत्र किसी प्रेम स्नेह के वशीभूत होकर नहीं किया गया हो, बल्कि वादी को उसके हिस्से की आराजी से वंचित करने के अवैध उद्देश्य से परिवादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहन सिंह के बीच उपजे आपराधिक षडयंत्र के तहत कराया गया संव्यवहार होने से काबिल निरस्तनीय है। यह भी गलत है कि दानपत्र तारीखी 3–7–2014 की रूह से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कब्जा आज तक नहीं दिया गया हो तथा वादी अपने हिस्से की हद तक आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त करता चला आ रहा हो। यह तथ्य भी गलत है कि दानपत्र तारीखी 3–7–2014 एक्ट अपोन नहीं हुआ है। यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादीगण ने उक्त फिक्टीसियस दान पत्र के संबंध में वादी से छिपाते हुए इसका नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया हो। यह कथन भी गलत है कि वादी को उक्त वर्णित दानपत्र के निष्पादित होने की जानकारी प्रथम बार दिनांक 5 मई 2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर हुई हो, बल्कि वादी को दानपत्र तारीखी 3–7–2014 की जानकारी दानपत्र निष्पादित होने पर और दान ग्रहण करने पर तुरन्त कब्जा व दखल मौके पर ले लेने पर हो गयी थी, जो बदस्तूर आज तक चला आ रहा है। वादी ने वादपत्र तारीखी 3–7–2014 को निरस्त कराये जाने हेतु वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसका वाद मूल्य 1,00,000 रूपये अक्षरे एक लाख रूपया अंकेन कर उसे देय न्याय शुल्क 6625 रुपये कोर्ट फीस व वैल्यूएशन एक्ट के मुताविक कम चस्पा की है। इसलिए वादी वादपत्र प्रथम स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष उपजिमन अ–ब–स–द के तहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

04. प्रतिवादीगण ने अपने विशेष कथन में यह वर्णित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 0.91 हेक्टेयर, 186 रकबा 0.77 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर वाके ग्राम मूड़िया तहसील बयाना में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी 3 न्यारानूर 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज था और जिसको हर तरह रहन वय मुन्तकिल करने के अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरह आराजी खसरा नम्बरान 200 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 201 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 202 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 203 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम मूड़िया तहसील बयाना में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 न्यारानूर 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी था, जिसको हर प्रकार से रहन वय मुन्तकिल करने के अधिकार प्राप्त थे, आराजी मुतनाजा में वादी को प्रतिवादी संख्या 3 के जीवन काल तक वाईबर्थ किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। विवादित आराजी पैतृक कृ षि भूमि नहीं है क्योंकि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज ग्राम मूडिया में जमींदार विश्वेदार नहीं थे। इसलिए वादी को किसी हैसियत से हक हांसिल नहीं है। वादी ने वादपत्र की मद नम्बर 3 में जिस तरह से सजरा चस्पा किया है, वह गलत लिख दिया है और कृषि भूमि को मुश्तरका खातेदारी व काश्त दिखाई है, जिसमें फरीकेन तोता व लालसिंह को फरीक मुकदमा नहीं बनाया है, जो एक आवश्यक पक्षकार है,

इसलिए वाद वादी फरीकेन आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के क्रम में खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 3 ने आराजी मुतनाजा में निहित हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में उनकी सेवाओं से खुश होकर और उनसे लगाव व स्नेह होने के कारण राजी खुशी स्वतंत्र इच्छा से वादी की जानकारी में लाकर दानपत्र दिनांक 3–7–2014 को तहरीर करवाकर उप–पंजीयक बयाना के यहां निष्पादित कराया। दानपत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाबालिग होने के कारण उसके पिता मोहन सिंह ने उनका प्राकृतिक संरक्षक दानग्रहण किया था। दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में दाखिल खारिज संख्या क्रमानुसार पर दर्ज होकर खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हो गई और आज तक मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी का आराजी मुतनाजा के किसी भी हिस्से पर स्वत्त्व व आधिपत्य नहीं है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुति के समय दानपत्र निरस्ती हेतु वो दादरशी चाही, उस समय मालियत दावा उप–पंजीयक बयाना के कार्यालय से 1,36,000/– रूपये होती है, जबकि वादी ने 1,00,000/–रूपये अंकन कर उस पर देय न्याय शुल्क 36,000/– रूपये पर अलग से चस्पा नहीं किया है, न्यायशुल्क कम चस्पा करने के कारण वादी वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने भोला पुत्र घन्टोली को बहला फुसलाकर उसके सम्पूर्ण हिस्से की आराजीयत का दानपत्र अपने नाबालिग पुत्र कन्हैयालाल के हक में तहरीर व पंजीकृत करा लिया है जो सरासर गलत व अवैध था और प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता मोहन सिंह के हकूकों को वंचित करने के लिए कराया गया था। वादी एक चतुर चालक व फरिस्ता व्यक्ति है, उसके बजाय प्रतिवादीगण का पिता मोहन सिंह स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति हैं, इसलिए वादी ने दानपत्र तारीखी 3–7–2014 तहरीरी पंजीकृत होने के बाबजूद भी निरस्त करने का दायर कर दिया है, जो चलने योग्य नहीं है। वादी ने दानपत्र निरस्तीकरण हेतु जो न्यायालय में प्रस्तुत किया है उसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नाबालिगान की हैसियत पर दर्शाया गया है जबकि नाबालिगान पर दावा बालिग होने पर लाया जा सकता है, जो विधि के प्रावधानुसार गलत व अवैध प्रस्तुत किया है और वादी ने वादपत्र में प्राकृतिक पिता मोहनसिंह का सरप्रस्त बनाकर प्रस्तुत किया है, परंतु नाबालिगान के हितार्थ व रक्षार्थ कुछ भी तथ्य नहीं लिखाये हैं। अंत में वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी खारिज फरमाये जाने तथा मुकदमा खर्चा वादी से प्रतिवादीगण को 20,000/– रुपये दिलाये जाने का निवेदन किया।

05. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु होने पर आदेशिका दिनांक 28.11.2019 के तहत प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकामान को विधि द्वारा निर्धारित अवधि में रिकॉर्ड पर न लाये जाने के कारण उसकी हद तक वाद का उपशमन हो चुका है।

06. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गयेः–

1. आया वादपत्र की मद संख्या एक में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित व पैतृक आराजी है जिसमें उपरोक्त सजरा के मुताबिक वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं?

.....वादी

2. आया प्रतिवादी संख्या तीन द्वारा अपनी पैतृक आराजी में अपने हिस्से से अधिक वादी के हिस्से की आराजी को जरिये दानपत्र तारीखी 03.07.14 प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष में अंतरण किया गया?

.....वादी

3. आया वादी द्वारा वाद अपर्याप्त न्याय शुल्क के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है?

.....प्रतिवादीगण

4. आया वादी का वाद, वादपत्र के आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज किये जाने योग्य है?

.....प्रतिवादीगण

5. अनुतोष?

07. वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी सुरेश पी.ड.1 के रूप में एवं गवाह पी.ड.2 महेन्द्र के बयान लेखबद्ध कराये गये हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपि दानपत्र प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी संवत् 2051 से 2070 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 व जमाबंदी संवत् 2068 लगायत 2071 प्रदर्श 4 प्रदर्शित कराये गये हैं।

08. जबकि प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.ड.1 के रूप में मोहन सिंह व डी.ड.2 शिवकुमार के बयान लेखबद्ध कराये गये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मूल दानपत्र प्रदर्श डी–1, जमाबंदी संवत 2072 से 2075 प्रदर्श डी–2, जमाबंदी संवत 2076 से 2079 प्रदर्श डी–3, जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खाता संख्या 10 प्रदर्श डी–4, सजरा प्रदर्श डी–5, डी.एल.सी. रेट प्रदर्श डी–6 प्रदर्शित करवाये गये हैं।

09. बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वाद पूर्णतः प्रमाणित है। अतः वादपत्र अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र/बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत 2022(2) DNJ (SC) 731 Supreme Court of India पेश किया है।

10. जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादी की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उससे वादी का वाद कतई प्रमाणित नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस/जवाबदावे के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत 2015 (SUPPL.) CIVIL COURT CASES 241(Raj.) Rajasthan High Court पेश किया है।

11. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय का विवाद्यकवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या– 1 व 2 :–</u>

12. उक्त दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से संबंधित होने व सुविधा की दृष्टि से एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

13. विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है, जिसमें उसे यह साबित करना है किः–

> ''1. आया वादपत्र की मद संख्या एक में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित व पैतृक आराजी है जिसमें उपरोक्त सजरा के मुताबिक वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं?'' तथा ''2. आया प्रतिवादी संख्या तीन द्वारा अपनी पैतृक आराजी में अपने हिस्से से अधिक वादी के हिस्से की आराजी को जरिये दानपत्र तारीखी 03.07.14 प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष में अंतरण किया गया?''

14. उक्त विवाद्यकों के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया जावे तो वादी ने अपने वादपत्र में यह अभिवचन किये हैं कि वादी के ग्रांडफादर (बाबा) स्व0 श्री घन्टोली वल्द सोनपाल के न्यारानूर स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नवीन खसरा नंबर 183 रकबा 0.91 हैक्टेयर, 186 रकबा 0.77 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर वर्णित खाता संख्या 34 तथा आराजी खसरा नंबरान 200 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 201 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 202 रकबा 0.35 हैक्टेयर व 203 रकबा 0.05 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वर्णित खाता 35 वाके ग्राम मूडिया तहसील बयाना जिला भरतपुर में वादी के बाबा घन्टोली वल्द सोनपाल व वादी के ताऊ भोला पुत्र घन्टोली निस्फ हिस्से के संयुक्त रूप से मालिक व काबिज थे। उक्त विवादित आराजी, वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित व पैतृक आराजी है, जिसमें उपरोक्त सजरा के मुताबिक वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं तथा उपरोक्त सजरा के मुताबिक इस पैतृक संपत्ति में वर्णित खाता संख्या 34 जमाबंदी संवत 2057 लगायत 2070 में वादी व वादी के भाई मोहनसिंह व बहन कमलेश व पिता प्रतिवादी संख्या 3, 1/4 से 1/4 अर्थात कुल रकबा के क्रमशः 1/16, 1/16 हिस्सा तथा खाता संख्या 35 जमाबंदी संवत् 2057 लगायत 2070 में वादी, वादी का भाई मोहनसिंह व बहन कमलेश व पिता (प्रतिवादी संख्या 3) 1/2 से 1/4 से 1/4 अर्थात कुल रकबा के क्रमशः 1/32, 1/32 हिस्सा के संयुक्त मालिक व काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 3 को खसरा संख्या 183 व 186 वर्णित खाता संख्या 34 जमाबंदी संवत् 2057 लगायत 2070 में वर्णित कुल रकबा के 1/16 हिस्सा की हद तक तथा खसरा नंबरान 200, 201, 202, 203 वर्णित खाता संख्या 35 जमाबंदी संवत् 2057 लगायत 2070 में वर्णित कुल रकबा के 1/32 हिस्सा की हद तक जरिये विरासतन

मालिकाना हक प्राप्त है तथा इससे अधिक आराजी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का अंतरण व संव्यवहार कानूनन प्रारम्भतः शून्य (वोइड एबइनिशियो) वातिल व निष्प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी वर्णित चरण संख्या 1 वादपत्र संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त, पैतृक व अविभाजित जायदाद है, जिसका बगैर वादी की सहमति व रजामंदी के उसके हिस्से की हद तक किया जाने वाला किसी भी प्रकार के अंतरण, दान, विक्रय या अन्य संव्यवहार वादी के विरुद्ध प्रारम्भतः शून्य, अवैध व बेअसर है, किंतु प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी के हितों को नजरअंदाज करते हुये वादी की सहमति व इच्छा के विरुद्ध वादी से छिपाते हुये व बिना विभाजन कराये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 03.07.2014 को सब रजिस्ट्रार बयाना के समक्ष एक फिक्टीशियस दानपत्र पंजीबद्ध करा दिया है। प्रतिवादी संख्या 3 को उक्त विवादग्रस्त आराजी में निहित कुल रकबे के अपने हिस्से से अधिक हिस्से का दानपत्र करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विधि के सुस्थापित सिद्धांत कोई भी व्यक्ति अपने स्वत्व से अधिक का अंतरण नहीं कर सकता है, के विरुद्ध निष्पादित कराया है एवं उपरोक्त दानपत्र किसी प्रेम स्नेह के वशीभूत होकर नहीं कराया जाकर वादी को उसके हिस्से की आराजी से वंचित करने के अवैध उद्देश्य से उक्त दानपत्र कराया गया होने से काबिले निरस्तनीय है।

15. वहीं प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन में उक्त तथ्यों को इनकार करते हुये अभिकथित किया है कि यह तथ्य गलत है कि विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि है और वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त हैं। आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 0.91 हेक्टेयर, 186 रकबा 0.77 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर वाके ग्राम मूड़िया तहसील बयाना में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 न्यारानूर 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज था और जिसको हर तरह रहन वय मुन्तकिल करने के अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरह आराजी खसरा नम्बरान 200 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 201 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 202 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 203 रकबा 0.06 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम मूड़िया तहसील बयाना में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 न्यारानूर 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी था, जिसको हर प्रकार से रहन वय मुन्तकिल करने के अधिकार प्राप्त थे, आराजी मुतनाजा में वादी को प्रतिवादी संख्या 3 के जीवन काल तक वाईबर्थ किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। विवादित आराजी पैतृक कृषि भूमि नहीं है क्योंकि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज ग्राम मूड़िया में जमींदार विश्वेदार नहीं थे, इसलिए वादी को किसी हैसियत से हक हासिल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 ने आराजी मुतनाजा में निहित हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में उनकी सेवाओं से खुश होकर और उनसे लगाव व स्नेह होने के कारण राजी खुशी स्वतंत्र इच्छा से वादी की जानकारी में लाकर दानपत्र दिनांक 3–7–2014 को तहरीर करवाकर उप–पंजीयक बयाना के यहां निष्पादित कराया। दानपत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाबालिग होने के कारण उसके पिता मोहन सिंह ने उनका प्राकृतिक संरक्षक दानग्रहण किया था। दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में दाखिल खारिज संख्या क्रमानुसार पर दर्ज होकर खातेदारी राजस्व

अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हो गई और आज तक मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी का आराजी मुतनाजा के किसी भी हिस्से पर स्वत्त्व व आधिपत्य नहीं है।

16. उभय पक्षकारान के उक्त अभिवचनों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो वादी ने अपने वादपत्र में वादी के ग्रांडफादर/बाबा स्व0 श्री घन्टोली के न्यारानूर स्वामित्व व आधिपत्य की विवादग्रस्त आराजी ग्राम मूड़िया तहसील बयाना, जिला भरतपुर में स्थित होकर वादी के बाबा घन्टोली व वादी के ताऊ भोला का निस्फ–निस्फ हिस्से के संयुक्त रूप से मालिक व काबिज होना, विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित व पैतृक आराजी होकर वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त होना एवं उक्त विवादग्रस्त आराजी संयुक्त हिंदू परिवार की संयुक्त पैतृक व अविभाजित जायदाद होना अभिकथित किया है। साथ ही वादी ने अपने वादपत्र में उक्त संपत्ति में वर्णित खाता संख्या 34 में वादी व वादी के भाई, बहन व पिता (प्रतिवादी संख्या 3) का कुल रकबा के 1/16, 1/16 हिस्सा तथा खाता संख्या 35 में 1/32, 1/32 हिस्सा के संयुक्त मालिक व काबिज चले आ रहे होना वर्णित किया है। ऐसे में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या वादपत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि/आराजीयात संयुक्त अविभाजित व पैतृक आराजीयात होकर, उक्त संपत्ति में वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार हैं? इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1. Sh. Surender Kumar Vs. Sh. Dhani Ram & others IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI CS (0S) No. 1737/2012, 2. Commissioner of Wealth Tax, Kanpur v. Chander Sen (1986) 3 SCC 567, 3. Yudhishter Vs. Ashok Kumar, (1987) 1 SCC 204, 4. Mohanlal & Ors. Vs. Hanuman Singh & Ors. 2021 2 DNJ 380 सुसंगत हैं। न्यायिक दृष्टांत Sh. Surender Kumar Vs. Sh. Dhani Ram & others IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI CS (0S) No. 1737/2012 के अनुसार पैतृक संपत्ति (सहदायिकी संपत्ति) साबित करने के लिए वादी को अपने वादपत्र में क्या–क्या अभिवचन करने पड़ेंगे एवं किन–किन बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत कर किन–किन अभिवचनों को साबित करना होगा, इस संबंध में उल्लेख किया गया है। उक्त प्रावधानों/न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में वादी के वादपत्र का अवलोकन किया जावे तो वादी ने अपने वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि/आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित व पैतृक आराजी होना, जिसमें वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त होना वर्णित किया है।

17. इस संबंध में वादी की ओर से साक्ष्य वादी में स्वयं वादी सुरेश गवाह पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के समान ही तथ्य अभिवचनित किये हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि घन्टोली के चार लड़के थे। तूफानी के दो लड़का, एक लड़की हैं, जिनके नाम मोहन सिंह, सुरेश व लड़की कमलेश है। विवादित आराजी पैतृक भूमि है। दानपत्र कराने से उसे यह आपत्ति हुई कि उसमें उसका हिस्सा चला गया है। यह बात सही है कि दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दाखिला दर्ज किया जाकर खातेदारी अमल कागजात पटवार में हो गया। इसी प्रकार गवाह पी.ड.2 महेन्द्र ने भी अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र के लगभग समान ही

तथ्य अभिवचनित किये हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कथन किया है कि घन्टोली के चार लड़के थे, उसमें से तूफानी, भोला मर चुके हैं। तोता, लालसिंह जीवित हैं। तूफानी के दो लड़का व एक लड़की हैं। दानपत्र सुरेश की रजामंदी के बिना हुआ था। दानपत्र के एक्स स्थान पर तूफानी का फोटो चस्पा है।

18. वहीं प्रतिवादी साक्ष्य में गवाह डी.ड.1 मोहन सिंह ने उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के शपथ पत्र में जवाबदावे में वर्णित तथ्यों के समान ही तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वे दो भाई व एक बहन हैं। ग्राम मूड़िया में उसके व उसके भाई की पैतृक कृषि भूमि स्थित है। उसके बाबा घन्टोली के मरने के बाद उनको यह कृषि भूमि विरासत में नहीं मिली। तूफानी के जीवन में सेवा सुश्रुषा तूफानी की सुरेश ने नहीं की, बल्कि उसके नाबालिग लड़के शिव कुमार व भूपेन्द्र ने की थी। यह कहना सही है कि घन्टोली के चार बेटे थे, भोला, तूफानी, तोता व लालसिंह। यह बात सही है कि स्वअर्जित आराजी क्या होती है, वह नहीं जानता। इसी प्रकार गवाह डी.ड.2 शिवकुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में वर्णित किया है कि उसके बाबा का नाम तोफानी है। उसे नहीं पता है कि उसके बड़ बाबा का नाम घन्टोली है। कृषि भूमि किसे कहते हैं, यह वह नहीं जानता। प्रदर्श 2 पर क्या लिखा है, यह वह पढ़ नहीं सकता। उसके बाबा तोफानी अपने जीवन काल में ज्यादातर उनके पिता और उसके साथ रहे थे। बाबा की देखभाल उसका पिता करता था। जिस समय दस्तावेज लिखा गया था, वे चलते फिरते थे।

19. इस प्रकार वादी ने अपने वादपत्र में विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त, अविभाजित व पैतृक आराजी होकर वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त होना एवं उक्त विवादग्रस्त आराजी संयुक्त हिंदू परिवार की संयुक्त पैतृक व अविभाजित जायदाद होना अभिकथित किया है। साथ ही वादी गवाह पी.ड.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी उक्त विवादग्रस्त आराजी को पैतृक भूमि होना बताया है, परंतु वादी ने अपने वादपत्र में कहीं भी इन तथ्यों का समावेश नहीं किया है कि विवादग्रस्त आराजी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति कब से चली आ रही है एवं उक्त संयुक्त हिंदू परिवार में कौन–कौन व्यक्ति सम्मिलित रहे, वादी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में कब सम्मिलित हुआ तथा वादी के दादा को उक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में कब प्राप्त हुई अथवा उक्त संपत्ति बाबत सर्वप्रथम किन–किन व्यक्तियों के बीच सहदायिकी बनी तथा कब बनी, प्रथम सहदायक कौन था, द्वितीय व तृतीय सहदायिकी कौन–कौन थे अर्थात उक्त संपत्ति वादी के परदादा के पास रही एवं परदादा की मृत्यु पर उसके दादा घन्टोली को उक्त संपत्ति सहदायिकी के रूप में कब प्राप्त हुई एवं वादी के परदादा, उसके दादा, उसके पिता के मध्य सहदायिकी कब बनी, कब उस सहदायिकी का विघटन हुआ तथा वादी उक्त सहदायिकी में कब सम्मिलित हुआ, वादी का जन्म कब हुआ एवं वादी के जन्म के समय किन–किन व्यक्तियों के मध्य सहदायिकी थी तथा वादी के पिता के जन्म के समय उनका संयुक्त हिंदू परिवार अस्तित्व में था, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट व विनिर्दिष्ट अभिवचन वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित नहीं किए गए हैं और ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है, बल्कि वादी ने अपने वादपत्र में विवादग्रस्त संपत्ति उसके बाबा घन्टोली के न्यारानूर

स्वामित्व व आधिपत्य की होना बताया है, परंतु वादी के वादपत्र के अभिवचनों में विवादग्रस्त आराजी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति कब से चली आ रही है एवं उक्त संयुक्त हिंदू परिवार में कौन–कौन व्यक्ति सम्मिलित रहे, वादी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में कब सम्मिलित हुआ तथा वादी के दादा को उक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में कब प्राप्त हुई एवं सहदायिकी कब बनी तथा सहदायिकी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोपार्सनर कौन–कौन थे, उसके परदादा/दादा की मृत्यु कब हुई तथा वादी का जन्म कब हुआ एवं वह सहदायिकी में कब सम्मिलित हुआ तथा उस समय सहदायिकी में कौन–कौन व्यक्ति सम्मिलित थे, ऐसे कोई स्पष्ट व विनिर्दिष्ट अभिवचन वादी ने अपने वादपत्र में नहीं किये हैं। इसके अलावा वादी ने अपने वादपत्र में वर्ष 1956 से पूर्व उक्त विवादित संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की रही हो और 1956 के पश्चात उक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार में रहते हुये वादी द्वारा सहदायिकी के तौर पर प्राप्त की गई हो, ऐसा कोई अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

20. वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली पर वादी की ओर से प्रदर्श–1 दानपत्र की प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपि पेश कर प्रदर्शित करवाई गई है। प्रदर्श 1 दानपत्र की प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया जावे तो उक्त दानपत्र के अवलोकन से प्रतिवादी संख्या–3 तोफानी द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी सं. 1 व 2 को दान किये जाने का तथ्य प्रकट होता है। इसी प्रकार खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2070 प्रदर्श 2 का अवलोकन किया जावे तो उसमें विवादग्रस्त भूमि के खातेदार/काश्तकार के रूप में वादी के बाबा/दादा घन्टोली का नाम अंकित होना प्रकट होता है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 प्रदर्श 4 का अवलोकन किया जावे तो उक्त जमाबंदी में वर्णित खसरा नम्बर 183 व 186 में कन्हैयालाल नाबा. पुत्र सुरेश संरक्षक पिता खुद हि. 1/4, तोता, लालसिंह व तोफानी पि. घन्टोली ब.हि. बरा. 3/4 हि. व खसरा नम्बर 200, 201, 202, 203 में तोता, लालसिंह, व तोफानी पि. घन्टोली हि.ब. 3/8, मिथलेश पत्नी पुष्पेन्द्र 3/8, सुपीता पत्नी सुरेश 1/4 हि. के नाम होना प्रकट है। इस प्रकार वादी की ओर से उक्त विवादग्रस्त आराजी पैतृक होने के संबंध में जमाबंदी प्रदर्श 2 व प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई गई है। उक्त जमाबंदी प्रदर्श 2 में विवादग्रस्त भूमि के खातेदार/काश्तकार के रूप में वादी के बाबा घन्टोली का नाम अंकित होना प्रकट होता है एवं जमाबंदी प्रदर्श 4 में वादी के दादा घन्टोली की मृत्यु उपरांत वादी के पिता तोफानी व उसके भाइयों के नाम काश्तकार के रूप में अंकित होना प्रकट होता है।

21. उक्त दस्तावेज खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2070 प्रदर्श–2 व जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 प्रदर्श–4 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेजात/जमाबंदियों में वर्णित विवादग्रस्त भूमियां घन्टोली पुत्र सोनपाल अर्थात् वादी के दादा घन्टोली के नाम दर्ज थी तथा वादी के दादा घन्टोली की मृत्यु होने पर उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 3 व उसके भाइयों को प्राप्त हुई। यद्यपि वादी ने अपने वादपत्र व अपनी साक्ष्य में विवादग्रस्त आराजी को पैतृक भूमि होना एवं उक्त विवादग्रस्त आराजी उसके बाबा घन्टोली के न्यारानूर स्वामित्व व आधिपत्य की होना वर्णित किया है, परंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी के बाबा

घन्टोली को उक्त विवादग्रस्त आराजी कैसे प्राप्त हुई, इस बाबत कोई भी दस्तावेज व साक्ष्य वादी पक्ष की ओर से पेश नहीं की गई है। साथ ही गवाह डी.ड.1 मोहन सिंह अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन करता है कि उसके बाबा घन्टोली के मरने के बाद उनको यह कृषि भूमि विरासत में नहीं मिली। इसके अतिरिक्त यदि विवादग्रस्त संपत्ति सहदायिकी संपत्ति/पैतृक संपत्ति होती तो उक्त संपत्ति वादी व प्रतिवादीगण को समान रूप से जाती, परंतु विवादग्रस्त भूमि वादी के दादा घन्टोली की मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या–3 व उसके भाइयों को मिली। इस संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 सुसंगत है, जिसके अनुसार निर्वसीयत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधियों में नियमानुसार समान रूप से विभाजित होती है। उक्त प्रावधान के आलोक में हस्तगत प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो वर्ष 1956 से पूर्व उक्त विवादित संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की रही हो और 1956 के पश्चात उक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार में रहते हुये वादी द्वारा सहदायिकी के तौर पर प्राप्त की गई हो अथवा वर्ष 1956 से पूर्व एवं उसके पश्चात वादी के पड़दादा/दादा को उक्त संपत्ति कब व किस प्रकार प्राप्त हुई तथा किन–किन व्यक्तियों के बीच सहदायिकी बनी एवं कब बनी तथा वादी का जन्म कब हुआ, वादी के जन्म के समय किन–किन व्यक्तियों के बीच सहदायिकी थी एवं वादी उक्त सहदायिकी में कब सम्मिलित हुआ, उक्त सहदायिकी का विघटन कब हुआ, इस संबंध में वादी की ओर से कोई भी स्पष्ट व विनिर्दिष्ट अभिवचन व साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि वादी की ओर से जो दस्तावेज जमाबंदियां प्रदर्श–2 व प्रदर्श–4 पेश कर प्रदर्शित करवाई गई हैं, उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि वादी के दादा घन्टोली के नाम दर्ज होना एवं घन्टोली की मृत्यु होने पर उक्त संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत घन्टोली के प्रथम श्रेणी के वारिसान के बीच बंटना, जिसमें प्रतिवादी संख्या–3 तोफानी को उक्त संपत्ति प्राप्त होना साबित होता है।

22. यद्यपि वादी ने अपने वादपत्र में उक्त विवादग्रस्त संपत्ति में उसका व उसके भाई, बहन व पिता का वादपत्र में वर्णितानुसार हिस्सा होकर संयुक्त मालिक व काबिज चले आ रहे होना वर्णित किया है, परंतु इस संबंध में वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, जिसमें विवादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी का नाम अंकित हो अथवा वादी को उक्त विवादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदार/काश्तकार घोषित किया हो, ऐसा कोई भी दस्तावेज वादी की ओर से पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

23. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Commissioner of Wealth Tax, Kanpur v. Chander Sen (1986) 3 SCC 567, Yudhishter Vs. Ashok Kumar, (1987) 1 SCC 204 के अनुसार यदि कोई संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह संपत्ति उस व्यक्ति की स्वअर्जित संपत्ति के समान होगी, जिसको वह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कैसे भी डील विद कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी वादी ने अपने वादपत्र व साक्ष्य में विवादग्रस्त आराजीयात वादी के बाबा घन्टोली की होना वर्णित किया है एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–2 व प्रदर्श–4 के

अवलोकन से उक्त संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादी के पिता तोफानी को प्राप्त हुई एवं उक्त संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राप्त होने से उसकी स्वअर्जित संपत्ति के समान है।

24. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने वादपत्र व साक्ष्य में विवादग्रस्त भूमि वादी के दादा घन्टोली की होना एवं उक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की होकर पैतृक व अविभाजित जायदाद होना बताया है और इस संबंध में वादी ने दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श–2 व प्रदर्श–4 प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि वादी के दादा घन्टोली के नाम दर्ज होना साबित है, परंतु वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, जिससे उक्त विवादग्रस्त संपत्ति वादी के दादा घन्टोली को उसके पिता से प्राप्त हुई हो, अर्थात् वादग्रस्त भूमि वादी के दादा घन्टोली को उसके पिता से प्राप्त होने के संबंध में वादी ने कोई अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि वादी ने अपने वादपत्र व साक्ष्य में विवादग्रस्त संपत्ति/भूमि वादी के दादा घन्टोली की होना बताया है, ऐसे में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजात के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि वादी के दादा घन्टोली की भूमि होना तथा वादी के दादा घन्टोली की मृत्यु के उपरांत उक्त संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रतिवादी संख्या–3 तोफानी को प्राप्त होना साबित होता है।

25. इसके अतिरिक्त वादी ने अपने वादपत्र में विवादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्से का दानपत्र करने का कोई अधिकार नहीं होना एवं विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विरुद्ध उक्त दानपत्र किया जाना वर्णित किया है, परंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विवेचनानुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजी वादी के दादा घन्टोली के नाम दर्ज थी एवं वादी के दादा घन्टोली की मृत्यु उपरांत घन्टोली के चारों पुत्रों को बराबर–बराबर मिली, जिन तथ्यों का समर्थन वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–2 व प्रदर्श–4 से होता है। उक्त जमाबंदियों में वादी का नाम अंकित होवे अथवा उक्त आराजीयात बाबत वादी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हों, ऐसा प्रकट नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में वादी के बाबा घन्टोली की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी संख्या 3 व उसके भाइयों को विवादग्रस्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई तथा उक्त आराजीयात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Commissioner of Wealth Tax, Kanpur v. Chander Sen (1986) 3 SCC 567, Yudhishter Vs. Ashok Kumar, (1987) 1 SCC 204 के आलोक में प्रतिवादी संख्या 3 की सवअर्जित संपत्ति होना साबित होता है, परंतु वादी का उसके जन्म के समय से ही प्रतिवादी संख्या 3 के साथ विवादित भूमि में हक अधिकार होवे, ऐसा साबित नहीं होता है। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पिता की स्वअर्जित संपत्ति की श्रेणी में आना साबित होता है। चूंकि उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति साबित करने व उसमें वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त होने का तथ्य साबित करने में वादी विफल रहा है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 3 उसके हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित बेचान कर सकता है तथा प्रदर्श 1 दानपत्र के तहत उक्त संपत्तियां वादी के पिता तोफानी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दानपत्र के

मार्फत दान कर दी। ऐसे में पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादी उक्त दानपत्र प्रदर्श–1 को शून्य व अकृत घोषित करवाने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या एक व दो वादी के विरुद्ध तय किये जाते हैं।

<u>विवाद्यक संख्या– तीनः–</u>

26. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जिसमें उन्हें यह साबित करना है कि ''आया वादी द्वारा वाद अपर्याप्त न्याय शुल्क के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है?''

27. उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिकथन किये हैं कि ''यह कि वादी ने वादपत्र प्रस्तुति के समय दानपत्र निरस्ती हेतु जो दादर्शी चाही, उस समय मालियत दावा उप पंजीयक बयाना के कार्यालय से 1,36,000/– रुपये होती है, जबकि वादी ने 1,00,000/– रुपये अंकन कर उस पर देय न्यायशुल्क 36,000/– रुपये पर अलग से चस्पा नहीं किया है। न्यायशुल्क कम चस्पा करने के कारण वादी वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।'' साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित गवाह डी.ड.1 मोहन सिंह ने अपनी साक्ष्य में डी.एल.सी. रेट को प्रदर्श डी–6 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकट है कि हस्तगत वाद वादी की ओर से बाबत मन्सूख किये जाने दान–पत्र तहरीर व रजिस्टर्ड तारीखी 03.07.2014 व हुक्म इम्तनाई दवामी का पेश किया गया है। साथ ही वादी द्वारा उक्त दानपत्र को वादी के हिस्से की हद तक मन्सूख किया जाकर वादी के विरुद्ध प्रारंभतः शून्य व अवैध व नाकाबिल पाबंदी घोषित किये जाने व अन्य अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज डी.एल.सी. रेट प्रदर्श डी–6 का अवलोकन किया जावे तो उक्त दस्तावेज में प्रभावी दिनांक 01.04.2022 है, परंतु हस्तगत वादपत्र वादी की ओर से दिनांक 22.09.2015 को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में उक्त दस्तावेज प्रदर्श डी–6 वाद प्रस्तुति के समय का होवे, ऐसा प्रकट नहीं होता है, न ही उक्त दस्तावेज जारीकर्ता ही न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। ऐसे में दस्तावेज प्रदर्श डी–6 अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात की दावा दायरी के समय मालियत रही हो, यह तथ्य साबित होना नहीं पाया जाता है। वहीं इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज दानपत्र प्रदर्श–1/प्रदर्श डी–1 का अवलोकन जावे तो उक्त दस्तावेज दानपत्र के पृष्ठ संख्या 4 की पुस्त पर उपपंजीयक बयाना द्वारा मालियत 4,16,406 मानी गई है तथा वादी ने अपने वादपत्र की चरण संख्या 9 में वाद मूल्यांकन व कोर्ट फीस के संबंध में तथ्य वर्णित करते हुये दान की गयी आराजी की कीमत 4,00,000 रुपये मानी जाकर वादी के हिस्से की हद तक किये गये फिक्टीशियस दानपत्र को निरस्त किये जाने बाबत 1,00,000/– रुपये कायम की जाकर उस पर कोर्ट फीस राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट वैल्यूएशन एक्ट की धारा 38 के तहत 6,625/– चस्पा की है, परंतु उक्त दानपत्र जिस सक्षम प्राधिकारी उपपंजीयक बयाना के समक्ष पंजीकृत करवाया गया है, उन्होंने उक्त दानपत्र में वर्णित संपत्ति की मालियत 4,16,406/– रुपये मानी है, जो कि वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित दान की गई आराजीयात की कीमत 4,00,000/– रुपये

से अधिक है, जबकि वादी ने अपने वादपत्र में दान की गई आराजी की कीमत 4,00,000/– रुपये मानी जाकर स्वयं के हिस्से की हद तक किये गये फिक्टीशियस दानपत्र को निरस्त किये जाने बाबत 1,00,000 रुपये कायम कर उस पर कोर्ट फीस चस्पा की है, परंतु दानपत्र प्रदर्श–1 में सक्षम प्राधिकारी उप पंजीयक बयाना ने मालियत 4,16,406 रुपये मानी है, जो कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित दान की गई आराजीयात की कीमत से अधिक है। साथ ही स्वयं वादी पी.ड.1 सुरेश अपने प्रतिपरीक्षण में विवाद वाली जमीन 3 बीघा होकर उसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये होगी, अभिकथित करता है। ऐसे में वादी ने विवादग्रस्त आराजीयात बाबत पर्याप्त वाद मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त कोर्ट फीस अदा की हो, यह तथ्य साबित नहीं होता है। अतः उक्त विवाद्यक संख्या 3 बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या चारः–</u>

28. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, जिसमें उन्हें यह साबित करना है कि ''आया वादी का वाद, वादपत्र के आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज किये जाने योग्य है?''

29. उक्त विवाद्यक के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह अभिकथित किया है कि ''यह कि वादी ने वादपत्र की मद नम्बर 3 में जिस तरह से सजरा चस्पा किया है, वह गलत है लिख दिया है और कृषि भूमि को मुश्तरका खातेदारी व काश्त दिखाई है, जिसमें फरीकेन तोता व लालसिंह को फरीक मुकदमा नहीं बनाया है, जो एक आवश्यक पक्षकार है। इसलिये वाद वादी फरीकेन आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के क्रम में खारिज किये जाने योग्य है।'' प्रतिवादीगण के उक्त अभिवचनों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो वादी ने अपने वादपत्र में विवादग्रस्त आराजी उसके दादा घन्टोली की होना एवं उक्त संपत्ति में वादी को विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त होना, विवादग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक व अविभाजित जायदाद होना, परंतु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का फिक्टीशियस दानपत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पंजीबद्ध करा दिया जाना वर्णित किया है। इस प्रकार वादी ने विवादग्रस्त आराजीयात को संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक व अविभाजित जायदाद होना बताते हुये स्वयं का विरासतन जन्मजात अधिकार प्राप्त होना बताया है। साथ ही वादी ने अपने वादपत्र में उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में स्वयं के साथ–साथ उसके भाई, उसकी बहन व उसके पिता का हक, हिस्सा होना अभिकथित करते हुये अपने हिस्से की हद तक ही उक्त दानपत्र को मन्सूख किया जाकर वादी के विरुद्ध प्रारंभतः शून्य व अवैध घोषित किये जाने बाबत अनुतोष चाहा है तथा वादी ने दानदाता व दान गृहितागण को वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के रूप में संयोजित किया है। ऐसे में तोता व लालसिंह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना प्रकट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या चार प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किया जाता है।

अनुतोषः–

30. चूंकि विवाद्यक संख्या एक व दो वादी के विरुद्ध तय किये गये हैं तथा विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किया गया है, ऐसे में पत्रावली पर आई सम्पूर्ण साक्ष्य के समग्र विवेचन एवं विवाद्यकों के विनिश्चय से वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– आदेश –

31. परिणामतः वादी का वाद बाबत मन्सूख किये जाने दान–पत्र तहरीर व रजिस्टर्ड तारीखी 03.07.2014 व हुक्म इम्तनाई दवामी विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा उभय पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करेंगें। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(सुनील कुमार)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
सं02, बयाना, जिला भरतपुर (राज0)

32. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
सं02, बयाना, जिला भरतपुर (राज0)